न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (चूरू)

बइजलास- हिम्मतसिंह R.A.S.

वाद संख्या 235/2018

निर्णय दिनांक 6.3.2019

1. ओमप्रकाश
2. जयप्रकाश
3. सुमेरसिंह
4. राजकुमार
5. रमेशकुमार
6. प्रदीप कुमार

पुत्रगण रामचन्द जाति जाट निवासी थानमठुई तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— वादीगण

बनाम

1. सुरजाराम
2. नन्दराम

पुत्र चन्द्राराम

3. राजकुमार
4. प्रेमकुमार

पुत्र अमरसिंह

5. मामकोरी पत्नी अमरसिंह
6. केला पुत्री अमर सिंह
7. भगवानी पत्नी प्रहलाद
8. सोमवीर
9. कैलाश
10. कृष्णकुमार

पुत्र प्रहलाद

11. ग्यारसी पुत्री प्रहलाद

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण थानमठुई तहसील राजगढ़ जिला

12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार एवं अपंजियक महोदय राजगढ़ जिला चूरू
13. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा ऑ० क्षे० राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू
14. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 R.T. Act.

उपस्थित :-

1. श्री राकेश सांगवान अधिवक्ता वास्ते वादीगण

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि कृषि भूमि ख०न० 375 तादादी 5.68 है० ख०न० 531 तादादी 5.29 है० ख०न० 590/449 तादादी 0.06 है० गै०मु० कुण्ड कुल तादादी 11.03 हैक्टर वाके रोही थान मठुई तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादीगण प्रत्येक अपने 1/24-1/2[illegible] हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वास्ते मुलाहिजा जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 संलग्न वाद है। यही विवादित कृषि भूमि है। विवादित कृषि भूमि का खाता सीरा में रहने से भूमि की किस्म व लगान को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तनाजा रहने लग गया है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण अरसा करीब पन्द्रह साल से अधिक समय से अलग-अलग कृषि भूमि को काश्त करते है तथा वादीगण अपने 1/24-1/24 हिस्सा पर काबिज काश्तकार है जिस कारण वादीगण अपने 1/24-1/24 हिस्सा का कब्जा व काश्तवार खाता विभाजन करवाकर अलग से राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवा[दीगण] को काफी कहा व कहलवाया कि वे विवादित कृषि भूमि में दर्ज वादीगण का 1/24-1/24 हिस्सा बनता है जिसका कब्जा व काश्तवार खाता विभाजन करवा कर अलग से राजस्व रेकार्ड में अंकन करवा देवें मगर प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे और आखिरकार दिनांक 1.7.1[illegible] को ऐसा मानने व करवाने से बमुकाम थानमठुई में स्पष्ट इन्कार कर दिया जिस कारण वादीगण को इसी दिन से वादाधार वादकारण हासिल है। आदि-आदि पेश कर वाद[ग्रस्त] कृषि भूमि में से वादीगण प्रत्येक का 1/24-1/24 यानी वादीगण का सम्पूर्ण कृषि भूमि में संयुक्त 1/4 हिस्सा रखते हुए कब्जा व काश्तवार खाता विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रतिवादीगण को तल[ब] किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये व इकबालदा[वा] मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादगत भूमि में से अपना-अपना खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया। राजहित प्रभावित होने की संभावना नहीं है। प्रतिवादी संख्या 13 व 14 बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र के अभिवचनों के खण्डन के अभाव में विवाद्यक विरचित नहीं किये गये। उभय पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर ही वाद को निस्तारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला कृषि भूमि के विभाजन का है। राजहित प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। वादी व प्रतिवादी के अभिवचनों का आपस में कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड से खाता अविभाजित होना व वादगत भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के हक हि[स्से] होना प्रमाणित है। अत: वाद डिक्री किया जाकर वादगत कृषि भूमि में खाता विभाजन

अनुसार व मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार एवं आवागमन के लिए रास्ते रखते हुए किया जा कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू से मंगवाया जा कर तदनु राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता

आदेश

अतः वाद वादीगण मय प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 प्राथमिक डिक्री कि जा कर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 375 तादादी 5.68 है० खसरा नम्बर 531 ताद 5.29 है० ख० न० 590/449 तादादी 0.06 है० किता 3 कुल तादादी 11.03 है० वा रोही भानमकुई तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादीगण का हिस्सा संयुक्त रख कर प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 का राजस्व रिका में दर्ज खिलाकसी के अनुसार व मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार एवं आवागमन के लिए रास्ते रखते हुए किया जा कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार राजगढ़ (चूरू) से मंगवाया जा कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार राजगढ़ (चूरू) को आदेश दिया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड व मौका पर कब्जा काश्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (राज नियम 1955 के नियम 18 से 21 तथा रास्तों के सम्बन्ध में परिपत्र राजस्व विभाग दि 6.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुए तैयार कर अज अदालते माल के समक्ष दो प्रतियों प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। जिन पक्षकारान का हिस्सा बैंक के रहन है व तदनुरूप रहन रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.3.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्याया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)